डीएम के जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में 15 ने रखीं समस्याएं

अरवल। जिलाधिकारी अमृषा बैस ने शुक्रवार को कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित कर करीब 15 नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जा, अतिक्रमण, आवास योजना, पेंशन,

भूमि विवाद, पेंशन और आवास योजना से जुड़ी शिकायतों पर दिये निर्देश



दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। डीएम ने अधिकांश मामलों का मौके पर निष्पादन किया तथा शेष शिकायतों के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। कलेर प्रखंड के अमीर बिगहा निवासी दिव्यांग श्रीराम महतो ने बंद दिव्यांग पेंशन चालू कराने की गुहार लगाई। डीएम ने सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक को नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं, उसरी बाजार निवासी विधवा कुसुम देवी ने आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की। इस पर बीडीओ कलेर को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। अरवल प्रखंड के मखदुमाबाद निवासी भगवान सिंह की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर डीएम ने अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को शनिवार की भूमि विवाद बैठक में नियमानुसार निष्पादन का निर्देश दिया।

हत्या के प्रयास मामले में आरोपित गिरफ्तार

अरवल। हत्या के प्रयास के मामले में अरवल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मुकेश कुमार उर्फ मुकेश साव, पिता शिवपूजन साव, निवासी प्रसादी इंग्लिश, थाना एवं जिला अरवल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई अरवल थाना कांड संख्या 396/26, 19 अक्टूबर 2026 के तहत की गई है। इस मामले में सदर थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी ने बताया कि हत्या के प्रयास से संबंधित मामले में आरोपित मुकेश कुमार उर्फ मुकेश साव को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है। मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपराध से संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बुलडोजर काररवाई के खिलाफ भाकपा माले का धरना

गरीबों को उजाड़ने की बजाय दबंगों पर काररवाई करे सरकार: महानंद सिंह

कलेर (अरवल)। बिहार में बढ़ते अपराध, हत्या और बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को भाकपा माले ने कलेर प्रखंड मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। इसकी अध्यक्षता प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद ने की। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य स्थायी कमेटी सदस्य एवं पूर्व विधायक महानंद सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीबों और दलितों के घर उजाड़ रही है, जबकि दबंगों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने पहलेजा में महादलित परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाने तथा विरोध करने वाली बुजुर्ग महिला समेत तीन महिलाओं को जेल भेजे जाने पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं की रिहाई, गरीब परिवारों को बासगीत पर्चा देने, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई तथा उसरी बाजार में उप-स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शुरू कराने की मांग की। बिना वैकल्पिक व्यवस्था गरीबों के घर उजाड़ने पर रोक लगाने की भी मांग की गई। धरना को जिला सचिव जितेंद्र यादव, उमेश पासवान, शोएब आलम ,समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इसमें सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए।



हत्या के प्रयास के आरोप में पांच गिरफ्तार

मखदुमपुर। थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामले की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के ओढ़ बिगहा गांव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर मारपीट की घटना हुई थी, इसी मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में गांव निवासी हरेराम यादव, बलिराम यादव, बैजनाथ यादव, गिरजेश यादव एवं चनारिक यादव शामिल है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

मारपीट के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

रतनी, जहानाबाद। शकूराबाद थाना क्षेत्र में मारपीट के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लालेश यादव, अकलेश यादव, लुलेश यादव और शैलेश यादव के रूप में हुई है। चारों देवनंदन बीघा गांव के निवासी हैं और सभी के पिता का नाम लालदेव यादव बताया गया है। मामले में शकूराबाद थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

विकास से कोसों दूर मधुश्रवा शिव मंदिर, पोखर में जलकुंभी, गंदगी से श्रद्धालु परेशान

चौदह दिनों से पांच युवक कर रहे पोखर की सफाई, चेंजिंग रूम, शौचालय, रोशनी और सीसीटीवी व्यवस्था बदहाल

- मृत्युंजय कुमार -

अरवल। जिले के कलेर प्रखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध मधुश्रवा शिव मंदिर में बुनियादी सुविधाओं की कमी श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। एक ओर सरकार धार्मिक स्थलों के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व रखने वाले मधुश्रवा धाम में सफाई, शौचालय, चेंजिंग रूम, रोशनी और सुरक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इससे यहां पूजा-अर्चना करने आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर परिसर स्थित पोखर में जलकुंभी फैलने और गंदगी जमा होने से इसकी स्थिति खराब हो गई है। पोखर की सफाई को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्थिति यह है कि पिछले चौदह दिनों से पांच युवक सामाजिक पहल करते हुए पोखर की सफाई में जुटे हैं। युवक कड़ी धूप में मेहनत कर धार्मिक स्थल को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी इस पहल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। लोग युवकों के प्रयास की सराहना कर रहे हैं। हालांकि यह सवाल भी उठ रहा है कि धार्मिक स्थल की नियमित सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी निभाने वाली व्यवस्था की ओर से पर्याप्त पहल क्यों नहीं की जा रही है। महिलाओं के लिए पर्याप्त चेंजिंग रूम नहीं होने से विशेषकर स्नान और धार्मिक अनुष्ठान के दौरान परेशानी होती है। सामुदायिक



शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं होने से भी श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मलमास मेला, श्रावणी मास, छठ पर्व और अन्य धार्मिक अवसरों पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं की कमी लोगों की परेशानी और बढ़ा देती है। मंदिर परिसर के समीप लगी हाई मास्क लाइट खराब बताई जा रही है, जिससे रात में रोशनी की समस्या उत्पन्न होती है। वहीं सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के ठीक से काम नहीं करने की शिकायत भी सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में पर्व-त्योहारों के दौरान सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। मंदिर परिसर में रोशनी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना जरूरी है स्थानीय लोगों का कहना है कि पोखर में प्रतिमा विसर्जन को लेकर भी स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन को अलग स्थान चिह्नित करना चाहिए, ताकि धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान पोखर की स्वच्छता बनी रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मधुश्रवा शिव मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बावजूद यहां बुनियादी सुविधाओं के विकास की दिशा में अपेक्षित पहल नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी संयुक्त रूप से पहल कर पोखर की नियमित सफाई, चेंजिंग रूम, शौचालय, रोशनी और सीसीटीवी की व्यवस्था दुरुस्त कराएं। साथ ही प्रतिमा विसर्जन के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित किया जाए। अब देखना यह है कि श्रद्धालुओं की इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन कब ठोस कदम उठाता है और मधुश्रवा धाम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की दिशा में कब प्रभावी पहल शुरू होती है।

लाइन डे पर एसपी ने सुनी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों की समस्याएं

जहानाबाद। पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को पुलिस केंद्र में लाइन डे का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस केंद्र की विभिन्न शाखाओं से संबंधित प्रशासनिक एवं विभागीय कार्यों का विधिवत निष्पादन किया गया। लाइन डे के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने ने विभिन्न संवर्ग के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों से उनकी समस्याओं, सुझावों एवं सेवा संबंधी मामलों की जानकारी ली और उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। समस्याओं के नियमानुसार त्वरित निष्पादन को लेकर संबंधित शाखाओं के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। लाइन डे के बाद पुलिस अधीक्षक ने विभागीय कार्यवाही शाखा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शाखा के कार्यों की अद्यतन स्थिति, लंबित विभागीय मामलों एवं संबंधित अभिलेखों की गहन समीक्षा की गई। एसपी ने शाखा प्रभारी को सभी विभागीय मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं नियमानुकूल निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करते हुए नियमित रूप से अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अनुशासन, समयपालन, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शाखा अपने कार्यों का नियमित अनुश्रवण करते हुए दक्ष, पारदर्शी एवं उत्तरदायी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग अपने कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी समस्याओं का समय पर निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी पुलिसकर्मी की समस्या को अनदेखा न किया जाए और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर एसपी ने अनुशासन, समर्पण और टीम भावना को पुलिस विभाग की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने सभी कर्मियों को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

एसडीपीओ ने किया मेंहन्दिया थाना का वार्षिक निरीक्षण

अरवल। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय ने शुक्रवार को मेंहन्दिया थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना के विभिन्न अभिलेखों, पंजियों और पुलिस कार्यप्रणाली का भौतिक सत्यापन किया। अभिलेखों का रख-रखाव संतोषजनक पाया गया।



निरीक्षण के क्रम में जमानतीय एवं अजमानतीय वारंट, सम्मन, इश्तेहार, कुर्की, लोकशिकायत तथा ग्राम अपराध पंजी का अवलोकन किया गया। एसडीपीओ ने लंबित वारंट, इश्तेहार, कुर्की और लोक शिकायत से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया। उन्होंने सीसीटीएनएस पर प्राथमिकी की रियल टाइम इंट्री, महिला हेल्प डेस्क के 24 घंटे संचालन, शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के सत्यापन तथा दागियों की नियमित जांच पर जोर दिया। इसके अलावा प्रभावी गश्ती, बैंक एवं पेट्रोल पंप की जांच, होटल-लॉज और किरायेदारों के सत्यापन तथा लंबित कांडों के अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया।

मुख्यालय डीएसपी ने जनता दरबार में सुनी आमजन की शिकायतें

फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश

अरवल। पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) हरीश कुमार सिन्हा द्वारा आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की शिकायतें सुनी गईं। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं एवं जनसरोकार से जुड़े मामलों से डीएसपी को अवगत कराया। उन्होंने सभी शिकायतों को गंभीरता और निष्पक्षता से सुनते हुए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएसपी ने मामलों का त्वरित, पारदर्शी एवं विधिसम्मत निष्पादन सुनिश्चित करने के साथ समयबद्ध कार्रवाई और नियमित अनुश्रवण का निर्देश दिया। जनता दरबार का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का समाधान करना, पुलिस-जन संवाद को मजबूत बनाना तथा पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाना है।



एसपी ने किया अरवल पुलिस लाइन का निरीक्षण

अरवल। पुलिस अधीक्षक किरण कुमार गोरख जाधव ने शुक्रवार को पुलिस लाइन अरवल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन की साफ-सफाई, शस्त्रागार तथा पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। साथ ही संबंधित शाखाओं में संचालित कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को कार्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, अनुशासन का पालन करने तथा सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों के कल्याण और उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। एसपी ने सभी शाखाओं में कार्यों का निष्पादन निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा कार्यप्रणाली में सुधार लाने पर जोर दिया। पुलिस लाइन के निरीक्षण का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने और पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करना रहा।



जिला स्तरीय युवा उत्सव को लेकर एसएन कॉलेज में जागरुकता कार्यक्रम

जहानाबाद। जिलाधिकारी छिरिंडवाई भूटिया के निर्देशानुसार जिला स्तरीय युवा उत्सव में युवाओं की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सत्येंद्र नारायण सिंह महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम एवं संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच) विनय कुमार सिंह एवं जिला परियोजना पदाधिकारी, जिला गंगा समिति, नमामि गंगे अमित कुमार ने महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से संवाद कर उन्हें युवा उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि युवा उत्सव युवाओं की प्रतिभा, रचनात्मकता एवं कला-कौशल को निखारने तथा उन्हें अपनी पहचान बनाने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। उन्होंने युवाओं को प्रखंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिला स्तरीय युवा उत्सव तक पहुँचने एवं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। युवा उत्सव में 15 से 29 वर्ष आयुवर्ग के युवा समूह लोकनृत्य, समूह लोकगीत, चित्रकला, कविता लेखन एवं नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न विधाओं में भाग ले सकते हैं। प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिताएँ 26 से 28 अक्टूबर तथा जिला स्तरीय युवा उत्सव 30 एवं 31 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने युवाओं से अपील की कि वे इस अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाएँ तथा अपनी कला, संस्कृति एवं रचनात्मक प्रतिभा को नई पहचान दें। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्वक्षमता एवं सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के साथ-साथ जिला एवं राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी पात्र युवाओं से युवा उत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की गई है।

जहानाबाद की 11 पंचायतों में लगा सहयोग शिविर

जहानाबाद। मुख्यमंत्री, बिहार के निर्देशानुसार सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत जिलाधिकारी छिरिङवाई भूटिया के निर्देशानुसार जिले के 11 पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए। शिविरों का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का पंचायत स्तर पर त्वरित समाधान एवं पात्र लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। काको प्रखंड के डेढ़सैया पंचायत में जिलाधिकारी छिरिङवाई भूटिया की अध्यक्षता में 13 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 02 निष्पादित हुए। बढ़ौना में जिला पंचायत राज पदाधिकारी डॉ. राज कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में 06 आवेदन प्राप्त, 03 निष्पादित तथा सुलेमानपुर में अपर समाहर्ता विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में 24 आवेदन प्राप्त, 02 निष्पादित हुए। जहानाबाद सदर प्रखंड के सेवनन पंचायत में उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पीयूष की अध्यक्षता में 14 आवेदन प्राप्त, 09 निष्पादित तथा मांदिल में अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में 17 आवेदन प्राप्त, 01 निष्पादित हुआ। मखदुमपुर प्रखंड की भैख पंचायत में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी चन्द्र किशोर सिंह की अध्यक्षता में 11 आवेदन प्राप्त, 05 निष्पादित तथा कोहरा में अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा की अध्यक्षता में 02 आवेदन प्राप्त हुए। घोसी प्रखंड की उबेर पंचायत में आकांक्षा गुप्ता की अध्यक्षता में प्राप्त 01 आवेदन निष्पादित हुआ। मोदनगंज प्रखंड की मोदनगंज पंचायत में अमु अमला की अध्यक्षता में 06 आवेदन, हुलासगंज प्रखंड की तिर्री पंचायत में निपुन कुमारी की अध्यक्षता में 20 आवेदन तथा रतनी फरीदपुर प्रखंड की रतनी पंचायत में तेज नारायण राय की अध्यक्षता में 06 आवेदन प्राप्त हुए। जिले के 11 पंचायतों में कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 23 का त्वरित निष्पादन किया गया। शेष 97 आवेदनों के निष्पादन को लेकर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को सहयोग पोर्टल पर अपलोड कर अधिकतम 30 दिनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।



राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित प्रो. सिद्धि नन्दन मिश्रा के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर

हुलासगंज (जहानाबाद)। कंदौल निवासी राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित प्रख्यात विद्वान प्रो. सिद्धि नन्दन मिश्रा के निधन गुरुवार को देर शाम में होने से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उन्होंने 95 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही शिक्षा एवं आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े लोगों सहित स्थानीय लोगों में शोक व्याप्त हो गया। प्रो. सिद्धि नन्दन मिश्रा शिक्षा और आयुर्वेद के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखते थे। वे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर भी रह चुके थे। अपने लंबे शैक्षणिक जीवन के दौरान उन्होंने ज्ञान, शोध और लेखन के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयुर्वेद के प्रति उनकी गहरी रुचि और समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आयुर्वेद विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना की थी। आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था।

वर्गीकृत

नाम परिवर्तन

मैं, सुजाता कुमारी, पिता- Nawal Kishor Singh, पता- क्वार्टर संख्या- 16, SNCA रेलवे कॉलोनी, किशनगंज, बिहार की निवासी हूँ। मेरे 10वीं के प्रमाण-पत्र एवं 12वीं की मार्क शीट में मेरे पिता का नाम NAWAL KISHORE SINGH दर्ज है जो की गलत है। सही नाम 'NAWAL KISHOR SINGH' पिता- राम एकबाल सिंह है एवं मेरे आधार एवं पैन कार्ड में दर्ज है। ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। शपथ-पत्र संख्या 3025 / 18.03.2026

शपथ पत्र

मैं, बिनोद कुमार, पिता-महादेव साह, ग्राम-रेडिया, डाकघर एवं पुलिस थाना-बिक्रमगंज, जिला रोहतास, बिहार, शपथ पत्र संख्या-21035, दिनांक 13.10.2026 के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि मेरे आधार कार्ड संख्या 381552374994 में मेरा सही नाम बिनोद कुमार दर्ज है, जबकि मेरी पुत्री सलोनी कुमारी के आधार कार्ड 586446077422 में पिता का सही नाम बिनोद कुमार दर्ज है। लेकिन उसके CBSE बोर्ड की उत्तीर्ण मैट्रिक सहित सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम बिनोद गुप्ता दर्ज है, जो कि गलत है। अतः मैं शपथ पत्र से घोषणा करता हूं कि मेरी पुत्री के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में पिता का नाम बिनोद कुमार दर्ज करने की कृपा करें, जो सही और सत्य है।

9/482/26

Affidavit

I, Ehteshamul Haque Hashmi, aged about 55 years, son of Late Syed Anwarul Haque, resident of vill.+P.O.+P.S.-Daudpur, District-Saran, Bihar-841205, Aadhar No.-559830410485 do hereby solemnly affirm and declare as follows :- 1. That Safa Hashmi is my daughter. 2. That in her Aadhar card her name has been wrongly mentioned as SAF A ENTESHAM. 3. That my daughter correct name is Safa Hashmi. 4. That now my daughter will known as Safa Hashmi for all purposes.vide aff. No.-5466 dated 23.10.26

CM-935

AFFIDAVIT

I, hitherto known as Ramaji Yadav (Old Name) Son Baharan Yadav (Father/Husband's name) residing at Vill-Hiranda, P.O-Maniara, Police Station-Kuchaikot, Distt.-Gopalganj, Bihar (Residential Address) have changed my name and shall hereafter be konwn as Ramesh Yadav. (New Name) It is certified that I have complied with name and legal requirements in this connection. Aff No.-146/16.10.26

9/614/26

नाम परिवर्तन

मैं, रीना देवी (Rina Devi) पति श्री अजित कुमार सिंह पता- रोड नं.-7ए, Q. No.-5A, इन्द्रपुरी पो.-केशरीनगर, थाना-पाटलीपुत्रा पटना (बिहार)-800024 द्वारा घोषणा करती हूं कि मेरे पति अजित कुमार सिंह के सर्विस रेकार्ड एवं पेंशन बुक में मेरा सही नाम रीना देवी (Rina Devi) अंकित है। परन्तु मेरे आधार सं. 861155874234 में हिन्दी अक्षर में रीना देवी एवं अंग्रेजी शब्द में Reena Devi अंकित हो गया है। शपथ पत्र सं.-12367 दिनांक 12.10.26 के आलोक में मैं रीना देवी (Rina Devi) के नाम से ही जानी व पहचानी जाऊंगी, जो सभी कार्य में मान्य होगा।

रसीद सं. 927

Affidavit

I, Md. Shadab Mazhar @ Md. Shabab Anwar S/o Md. Raquib Khan R/o Mohalla- Islam Nagar, ward No.-31, P.O.+P.S.-Nawada, Distt.-Nawada, Bihar-805110 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 17807 dt. 15.10.26 that my name is mentioned in my acedemic record as Md. Shadab Mazhar which is correct. Md. Shadab Mazhar and Md. Shabab Anwar both names are same and one person. From now I shall be known as Md. Shadab Mazhar for all purposes.

Name Change

I, Rina Devi W/o Ajit Kumar Singh R/o Road No.-7A, Q. No.-5A, Indrapuri, P.O.-Keshrinagar P.S.-Patliputra, Patna-800024 (Bihar) vide Affidavit No.-12367 dated 12.10.2026 declare that my name is wrongly mentioned in my Aadhar No.-861155874234 as Reena Devi. That my correct name is Rina Devi which is mention in my Husband's service record and Pension book. From now I will be known as Rina Devi for all purposes.

CM-927

शपथ पत्र

मैं, विरेन्द्र पाण्डेय (Virendra Pandey) पिता-बलेश्वर पाण्डेय, ग्राम-सोन्थी, पो.-मसुढ़ी, थाना-जगदीशपुर, बिहार शपथ पत्र सं. 3332 दि. 23.10.26 द्वारा सूचित करता हूं कि Security and Intelligence Service (India) Limited के कागजात में मेरा नाम Birendra Kumar Pandey दर्ज है जबकि आधारकार्ड में विरेन्द्र पाण्डेय (Virendra Pandey) दर्ज है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है, जो मैं स्वयं हूं। मेरा सही नाम Virendra Pandey है और इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

9/482/26

शपथ पत्र

मैं धनंजय यादव पिता जगदीश यादव निवासी ग्राम तुलसीचक पो0 सेरथुआ थाना टेहटा जिला जहानाबाद बिहार। मेरे नाम से आधार कार्ड निर्गत है जिसका आधार नं. 3186 9212 7391 है जिसपर मेरा नाम धनंजय यादव पिता जगदीश यादव एवं जन्म तिथि 04.03.2007 ई. अंकित है जो सही एवं सत्य है। मेरे नाम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा जहानाबाद में एक गोल्ड लोन है जिसका गोल्ड लोन नं0 44559538660 है जिसपर मेरा नाम प्रेम धनंजय कुमार एवं जन्म तिथि 06.12.1999 ई0 अंकित है जो सही नही है। धनंजय यादव उर्फ प्रेम धनंजय कुमार पिता जगदीश यादव दोनो नाम मेरा ही है और मैं दोनो नामो से जाना एवं पहचाना जाता हूँ। यह कि मैं अपना सही एवं वास्तविक जन्म तिथि 04.03.2007 ई0 को सत्यापित करने हेतु यह शपथ पत्र निष्पादित कर रहा हूँ। शपथ पत्र संख्या 23/ 22.10.26

शपथ पत्र

मैं सुरेन्द्र सिंह पिता स्व0 चन्देश्वर सिंह, ग्राम डंगरा आहर, पो0- अरवल, थाना- अरवल, जिला- अरवल, बिहार। आसाम राइफल नागालैण्ड कैम्पो में सिपाही नं.- 3001040RFN सुरेन्द्र सिंह कार्यरत हूँ यह कि मेरी पत्नी के आधार सं0- 6603 6557 5585 पर मेरी पत्नी का नाम MONAMATI DEVI एवं जन्म तिथि 01/01/1976 एवं मेरे बड़े पुत्र के आधार सं0- 8363 0139 7215 पर मेरे पुत्र का नाम CHANDAN KISHOR एवं जन्म तिथि 20/08/1995 एवं छोटे पुत्र के आधार सं0- 3635 1626 6561 पर मेरे पुत्र का नाम KUNDAN KUMAR जन्म तिथि 15/06/2002 अंकित है जो सही है। मेरी पत्नी का नॉमनी में अंकित नाम MONA MATI DEVI जन्म तिथि 10.06.1972 अंकित है एवं बड़े पुत्र का नाम CHANDAN KISHOR जन्म तिथि 10/05/1994 एवं छोटे पुत्र KUNDAN SINGH जन्म तिथि 05/01/2003 अंकित है जो कि गलत हैं। यह कि मेरी पत्नी एवं मेरे दोनों पुत्र भविष्य में MONAMATI DEVI एवं जन्म तिथि 01.01.1976 एवं मेरे पुत्र के आधार सं0- 8363 0139 7215 पर मेरे पुत्र का नाम CHANDAN KISHOR एवं जन्म तिथि 20/08/1995 एवं छोटे पुत्र के आधार सं0- 3635 1626 6561 पर मेरे पुत्र का नाम KUNDAN KUMAR जन्म तिथि 15/06/2002 के नाम एवं जन्म तिथि से जाने एवं पहचाने जाऐंगें। यह कि मेरे पत्नी एवं पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर भी नाम एंव जन्म तिथि आधार कार्ड से हीं अंकित है। शपथ पत्र संख्या 15254/15.10.26

शपथ पत्र

मैं, अफताब आलम, पिता-अबदुल हकिम मुहल्ला-नाजिरगंज रौजा, पोस्ट-आरा, थाना-आरा नगर, जिला-भोजपुर, आरा का स्थायी निवासी हूं। मेरा शपथ पत्र संख्या 56542 है। दिनांक 07.10.2026 से यह शपथ लेता हूं कि पूर्व में मैं अफताब नाम से जाना जाता था। अब मैं अफताब आलम के नाम से जाना जाता हूं। ये दोनों नाम मेरा ही है।

9/482/26

शपथ-पत्र

मैं मुखदेव राय उर्फ भुखदेव राय पिता काली राय उर्फ कल्यानचन्द्र राय ग्राम-गांग सरगटी पो.-साधपुर जिला-सारण का स्थायी निवासी हूं, शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरे नाम से एलआईसी में एक पॉलिसी है जिसका पॉलिसी सं. 535427618 है जिसमें मेरा नाम मुखदेव राय पिता का नाम काली राय दर्ज है। जबकि मेरा आधार सं.-**** 5580 एवं बैंक खाता में मेरा नाम भुखदेव राय तथा पिता का नाम कल्यानचन्द्र राय दर्ज है। मैं तथा मेरे पिता उपरोक्त दोनों नामों से जाने व पहचाने जाते हैं। 31236/15-10-26

9/509/26

शपथ-पत्र

मैं, रुस्तम अली, पिता स्व. लाल मोहम्मद, निवासी रामलीला मठिया, पो.वो थाना भगवान बाजार, जिला- सारण, बिहार-841301, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरी नाबालिग पुत्री के आधार संख्या 7933 4077 8559 मे उसका नाम अफसा अली (AFSA ALI) एवं जन्मतिथि 22.02.2010 दर्ज है, जो गलत हैं मेरी पुत्री का सही नाम अक्सा अली (AQSA ALI) एवं सही जन्मतिथि 22.02.2012 है। अतः मेरी नाबालिग पुत्री को भविष्य में अक्सा अली (AQSA ALI) के नाम से जाना जाएगा तथा उसकी सही जन्मतिथि 22.02.2012 होगी। शपथ-पत्र संख्या-30649, दिनांक-07.10.2026

9/509/26

पाठकों से

'आज' में छपे किसी भी विज्ञापन के सम्बन्ध में पाठक स्वत: जांच करके कार्य करें। इसके संबंध में कोई भी दावा 'आज' प्रकाशन पर न होगा।

प्रबंधक